

06/08/25
at 2:50 PM

विज्ञप्ति

मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के अन्तर्गत मध्यस्थता केन्द्र संचालित है। माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक 2389/SLSA-83/ 2025(Sandeep/Ri) दिनांकित 30-07-2025 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जनपद बस्ती में मध्यस्थों के पैनल बनाए जाने हेतु 20 अतिरिक्त मध्यस्थों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के अनुसार किया जाना है।

जिसके लिए निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं:-

- 1- ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;
- 2- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश;
- 3- ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

आवेदकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

मध्यस्थों को उ०प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के अन्तर्गत नियत मानदेय देय होगा।

आवेदक उपरोक्त नियमावली की अनुसूची-एक (संलग्न) में दर्शाए गए आवेदन प्रारूप पर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के कार्यालय में दिनांक 08-08-2025 की सायं 4 बजे तक जमा करा सकते हैं।

(अनिल कुमार-XIV)

अपर जिला जज / सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बस्ती।

पत्रांक:- 882 / जि० वि० से० प्रा०, बस्ती दिनांक:- 04 अगस्त 2025

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- सहायक सूचना निदेशक, बस्ती को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त विज्ञप्ति को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें एवं विज्ञापन की पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे। जिससे की उक्त कटिंग को उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रसारित किया जा सके।
- 3- नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वह जनपद न्यायालय, बस्ती एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 4- अध्यक्ष / सचिव सिविल बार एसोसिएशन, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिवक्तागण के मध्य इस सूचना को परिचालित करावेंगे।
- 5- अध्यक्ष / सचिव जनपद बार एसोसिएशन, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिवक्तागण के मध्य इस सूचना को परिचालित करावेंगे।
- 6- अध्यक्ष / सचिव यंग बार एसोसिएशन, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिवक्तागण के मध्य इस सूचना को परिचालित करावेंगे।
- 7- अध्यक्ष / सचिव कमिश्नर बार एसोसिएशन, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिवक्तागण के मध्य इस सूचना को परिचालित करावेंगे।
- 8- केन्द्रीय नाजिर, जिला न्यायालय, बस्ती को न्यायालय के सभी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
- 9- नाजिर सदर, जिला कलेक्ट्रेट, बस्ती को जिला मुख्यालय पर स्थित सभी सरकारी भवनों तथा समस्त तहसील भवनों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार-XIV)

अपर जिला जज / सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बस्ती।

अनुसूची--एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।